एस. सन्धू
सचिव
Satpal S. Sandhu
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

अर्द्धशासी प.सं. 5–1/2014 (सीपीपी–II) 11 जुलाई 2014

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत, निम्नवत पुनः अभिव्यक्त किया गया है– डिग्रियाँ जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है–वे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं:–

> "डिग्रियाँ प्रदान करने अथवा स्वीकृत करने के अधिकार का प्रयोग केवल ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा एक प्रान्तीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम अथवा धारा 3 के अन्तर्गत किसी भी मानित विश्वविद्यालय द्वारा जिसे संसद के किसी अधिनियम के अनुसार डिग्रियाँ प्रदान करने अथवा स्वीकृत करने के लिए विशिष्ट रूप से अधिकार प्रदान किए गए है।"
>
> 2. उस उनुच्छेद (1) में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी किसी भी डिग्री को प्रदान अथवा स्वीकृत नहीं करेगा अथवा कोई डिग्री स्वयं अथवा स्थिति अनुसार प्रदान अथवा स्वीकृत नहीं करेगा।
>
> 3. इन अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए "डिग्री से तात्पर्य ऐसी डिग्रियों से है जिन्हें केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है"

यह प्रावधान अधिदेशात्मक तथा समस्त विश्वविद्यालयों पर बाध्य है। आयोग बारंबार विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता रहा है कि यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के ही अन्तर्गत वे डिग्रियाँ प्रदान करें।

> **"इसके साथ ही यूजीसी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय इस अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी डिग्री प्रदान नहीं करेगा। जैसा कि आगे से निर्धारित किया गया है, किसी भी डिग्री के प्रदान किए जाने से पूर्व विश्वविद्यालयों के लिए डिग्रियों के इस स्वीकृत स्वरूप का अनुपालन अधिदेशात्मक होगा तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि अनुदेशों के न्यूनतम मानकों के प्रति सतर्क बने रहे"**

जुलाई 2014 में प्रकाशित भारत के राजपत्र में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 (3) के उद्देश्य से डिग्रियों के स्वीकृत स्वरूप की समेकित सूची यूजीसी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

क्रमशः.....

ऐसा देखने में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान अ–विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ प्रदान कर रहे हैं जिनसे मुकदमेबाजियाँ होती हैं एवं उन छात्रों के लिए विभिन्न समस्याएँ खड़ी करती है जिन्हे ऐसी डिग्रियाँ प्रदान करी गई है। यहाँ तक कि ऐसी अ–विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ प्राप्त कुछ नेट योग्यता प्राप्त छात्रों को भी उनके प्रमाण पत्र को प्रदान नहीं किया गया।

इसके साथ ही यह भी अभिव्यक्त किया जा रहा है कि यूजीसी विनियम सांविधिक स्वरूप वाले होने के कारण विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों पर बाध्य हैं तथा इनका कोई भी उल्लंघन, उन दोषी संस्थानो के विरूद्ध उचित कार्रवाई प्रेरित करेगा। डिग्रियों के विनिर्दिष्टिकरण से संबद्ध प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी विश्वविद्यालय एवं उसके संबद्ध महाविद्यालय यूजीसी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

विश्वविद्यालयों से एक बार फिर अनुरोध है कि वे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 के प्रावधानों का अनुपालन करें तथा केवल ऐसी डिग्रियाँ ही प्रदान करें जैसा कि यूजीसी ने जुलाई, 2014 के प्रकाशित भारत के राजपत्र में विनिर्दिष्ट किया है। यदि कोई विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री से अतिरिक्त कोई डिग्री प्रदान करना चाहता है अथवा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की अवधि परिवर्तित करना चाहता है तो वह विश्वविद्यालय, उस पाठ्यक्रम के प्रारंभ के छः माह पूर्व, तथा उस डिग्री पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के बारे में संपूर्ण औचित्य सहित उसे यूजीसी की स्वीकृति के लिए प्रेषित करें।

यह छः माह की अवधि, इन डिग्रियों को संलग्न राजपत्र अधिसूचना के अनुसार समरूप बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है तथा इसके साथ ही इसका अनुपालन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट किया जाए।

सादर।

समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति

भवदीय

जसपाल सिंह सन्धू

(प्रो.(डॉ.) जसपाल सिंह सन्धू)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव
2. प्रकाशन अधिकारी, यूजीसी, यूजीसी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

हेमांग देसाई

(हेमांग ए. देसाई)
शिक्षा अधिकारी